प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार (उ. प्र. सरकार) के "नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन" की वर्ष 2005–06 से 2017–18 की अवधि के दौरान की निष्पादन लेखापरीक्षा में पायी गयी महत्वपूर्ण आपत्तियाँ सम्मिलित हैं। यह प्रतिवेदन नोएडा की फाइलों एवं अभिलेखों की जाँच एवं अन्य सरकारी विभागों और एजेन्सियों जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ (आरओसी), उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र.रेरा), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) आदि से आंकड़ों के संग्रहण एवं नोएडा के आंकड़ों के साथ इसके प्रति सत्यापन से तैयार हुआ है। जुलाई 2017 में उ.प्र. सरकार ने नोएडा एवं तीन अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (औ.वि.प्रा.) की लेखापरीक्षा का कार्य सीएजी को प्रदान किया।

'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन' की लेखापरीक्षा ने औचित्य के गंभीर प्रश्न उठाए हैं एवं कार्य प्रणाली की प्रत्येक स्तर पर विफलता की ओर इंगित किया है। भूमि अर्जन के दौरान किसानों के अधिकारों को सांविधिक प्रावधानों के दुरूपयोग के माध्यम से अनदेखा कर दिया गया। परिसम्पत्तियों का आवंटन, सम्यक सतर्कता के अभाव, नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन, मिथ्या कथन और तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के दृष्टान्तों से परिपूर्ण था। कई प्रकरणों में ऐसी संस्थाओं को आवंटन किया गया जो कि विवरणिका में निर्धारित आवश्यक मापदण्डों को पूरा नहीं करते थे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बिना वित्तीय क्षमता वाली संस्थाओं को आवंटन कर दिया गया। इससे घर खरीददारों को अधूरी परियोजनाओं के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ा एव नोएडा के प्रति अत्यधिक बकाया धनराशि अधिदेय रही। नोएडा द्वारा बनाया गया परिवेश एवं विवरणिका की शर्तों में चुनिंदा बदलाव, कुछ श्रेणियों के भूखण्डों के कम मूल्य निर्धारण एवं आवंटन राशि में कमी के साथ कम दरों की श्रेणियों मे आवंटन, बंधक, उपविभाजन, निकास एवं स्थानांतरण की अनुमति के बोर्ड द्वारा समर्थित अनेक दृष्टान्त स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नोएडा के अधिकारियों ने जन–विश्वास की पूर्ण अवहेलना और नोएडा तथा घर खरीददारों के हितों की पूर्णतः अनदेखी करते हुए कार्य किया था। आवंटित परिसम्पत्तियों में तृतीय पक्ष के अधिकारों के सृजन ने हितधारकों के हितों को और अधिक खतरे में डाल दिया। उल्लंघनों के स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद प्राधिकरण बिल्डरों/आवंटियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में विफल रहा और अपने स्वयं के अधिकारियों के विरूद्ध उनके कर्तव्यों की अवहेलना एवं सतत अतिक्रमणों को अनुमति देने/बढ़ावा देने में भूमिका के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। ये प्रकरण प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता की गंभीर कमियों को प्रकट करते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।